समृद्ध किसान ही विकसित भारत निर्माण में निभाएगा अहम भूमिका : मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री डॉ. यादव का प्रदेश की जनता के नाम संदेश
- किसान कल्याण वर्ष में प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में ले जाएंगे नई ऊंचाइयों तक
- सच्चा वादा और पक्का काम, यही हमारी सरकार का है संकल्प
- किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया
- किसानों की समृद्धि ही मध्यप्रदेश की है असली ताकत
- हर परिस्थिति में आखिरी दम तक रहेंगे अपने अन्नदाताओं के साथ

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. सच्चा वादा और पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है.

हमने किसानों से जो वादा किया, वह पूरा करके भी दिखाया है. जब हमारे खेतों से लेकर कारखाने तक समृद्धि आएगी, तभी तो हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को प्रदेश की जनता के नाम दिये संदेश में कहा कि मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मध्यप्रदेश की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं. जब से मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली है, तब से पूरा मध्यप्रदेश ही मेरा परिवार है, प्रदेशवासियों का सुख ही मेरा सुख है और उनका दुख ही मेरा दुख है. उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों-बहनों को आश्वस्त करता हूं कि उनकी मेहनत, पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसानों की समृद्धि ही मध्यप्रदेश की असली ताकत है. आइए, हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मप्र तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है. प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार हमारे प्रिय किसान भाई-बहन हैं. मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं. हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है. हम न केवल किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का भी प्रयास कर रहे हैं.

डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाये बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है. हमारी सरकार किसानों के हर सुख-दुख में साथ है. इसी का परिणाम है कि प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है. आज मैं ऐसे विषय पर संवाद कर रहा हूं, जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है. मप्र सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है.

उन्होंने कहा कि मैं प्रदेशवासियों से यह साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

76 बिना बताये हुए गायब

अब गेहूं उपार्जन सप्ताह में 6 दिन, स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ाया
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुझे यह बताते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे-बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग पूरी तरह से खोली जा चुकी है. गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा. उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन निर्बाध रूप से जारी रहेगा. साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को अब 9 मई तक बढ़ा दिया गया है.

किसानों को अब उनकी भूमि के बदले 4 गुना मुआवजा- डॉ. यादव ने कहा कि किसान भाइयों को कोई समस्या न हो, यह हमारी सरकार का संकल्प है. राज्य सरकार सदैव किसानों के साथ है. हमारी सरकार ने भू-अर्जन को भी लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा. यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मप्र सरकार ने दलहन, उड़द, तिलहन फसल और सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और इस पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी दी जाएगी. प्रदेश में सोयाबीन की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार भाव में वृद्धि हुई और किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी अधिक मिल रहा है.

अरे... टीआई के घर चोरी

4 तोला सोना और कैश लेकर चोर फरार

शिवपुरी, 24 अप्रैल. जिले के सिंहनिवास गांव में पुलिस थाने के टीआई के घर चोरी हो गई. घटना के समय टीआई और उनका परिवार पास के कमरे में सो रहा था, लेकिन चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.

चोरों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का रुख लाठी से दूसरी दिशा में कर दिया. इसके बाद उन्होंने कमरे के पिछले हिस्से की खिड़की को औजार से उखाड़कर घर में प्रवेश किया. चोर अलमारी से करीब 4 तोला सोना और लगभग 50 हजार रुपए नकद लेकर फरार हो गए. सुबह परिवार के जागने पर चोरी का पता चला. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है. ब्रजमोहन रावत अशोकनगर जिले के हरिजन थाना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हैं.

पुलिस चौकी प्रभारी पर हमला

- सिर पर पत्थर मार रिवाल्वर छीनकर भागे युवक
- पुलिस अधीक्षक - आरोपी की तलाश में दो टीमें रवाना

अनूपपुर, 24 अप्रैल. मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सरई पुलिस चौकी प्रभारी मंगला दुबे पर अमगवां ग्राम पंचायत में मंगलवार की दोपहर अज्ञात युवकों ने सिर पर ईंट से हमला कर घायल कर उनकी सर्विस रिवाल्वर छीनकर फरार हो गए.

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोति उर रहमान ने बताया कि यह घटना दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई. अमगवां ग्राम पंचायत सरपंच अपनी पर बैठे तभी एक दुकान के सामने तेजी के साथ दो पहिया वाहन से तीन बाहरी लड़के निकले और उपद्रव मचा रहे थे.

जो संदिग्ध लगा और युवक सरई की ओर जा रहे थे तब सरपंच ने इसकी सूचना चौकी प्रभारी को दी, सामने से पुलिस को आता देख युवकों ने चौकी प्रभारी एवं आरक्षक पर पत्थर से वार किया जिससे चौकी प्रभारी मंगला दुबे के सिर पर हमला कर दिया. चोट लगने से वे जमीन पर गिर पड़े.

इसके बाद, एक अन्य युवक ने उनकी कमर में बंधी सर्विस रिवाल्वर निकालकर छीन ली और सभी फरार हो गए. साथ ही एक आरक्षक भी घायल होने की जानकारी हैं.

घटना की सूचना पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायल चौकी प्रभारी मंगला दुबे को शहडोल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अज्ञात उपद्रवी युवक उमरिया जिले के हो सकते हैं.

घटनास्थल के आसपास कोई सीसीटीवी या मोबाइल फुटेज उपलब्ध नहीं होने के कारण अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें रवाना की गई हैं और मामले की जांच-पड़ताल जारी है.

उल्लेखनीय है कि सरई पुलिस चौकी अनूपपुर जिले के अंतिम और दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है. यह शहडोल से लगभग 40 किलोमीटर और अनूपपुर जिला मुख्यालय से 85-90 किलोमीटर दूर है.

रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में लापरवाही, दो पटवारी निलंबित

जबलपुर, 24 अप्रैल. राजस्व विभाग की योजना 'लिगेसी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण' के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरतने पर जबलपुर जिले के दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है. कार्य में उदासीनता और रिकॉर्ड की जांच न करने के कारण पाटन तहसील के पटवारी देवेंद्र पटेल और रांझी तहसील के पटवारी चंद्रशेखर चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इन दोनों कर्मचारियों द्वारा डाटा चेक न किए जाने के फलस्वरूप रिकॉर्ड ऑटो अपडेट मोड पर चला गया, जिसे शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालयों के आदेशों की अवहेलना माना गया है. उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा वर्तमान में जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह प्रकार के पुराने राजस्व अभिलेखों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित किया जा रहा है.

खालवा की महिला बाल विकास पर्यवेक्षक 4 हजार रु. घूस लेते धराई

- – आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति के नाम पर मांगे थे 50 हजार रुपए
- लोकायुक्त इंदौर की टीम ने की कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर/खालवा. लोकायुक्त संगठन इंदौर ने खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग की एक पर्यवेक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है. एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आरोपी द्वारा 50 हजार रुपए की मांग की जा रही थी.

जानकारी के अनुसार, आवेदिका किरन वाड़िबा, जो खालवा के ग्राम पलासपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है, से नियुक्ति से संबंधित कार्य के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की थी. शिकायत की सत्यापन जांच में आरोप सही पाए जाने पर 24 अप्रैल 2026 को ट्रैप कार्रवाई की गई. ट्रैप दल ने योजना बनाकर ग्राम पंचायत रोशनी में आरोपी पर्यवेक्षक श्रीमती संतोष कोचले को 4 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ लिया. मौके से राशि भी जप्त की गई. आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई में कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा तोमर, कार्यवाहक निरीक्षक आशुतोष मिठास, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक विवेक मिश्रा, आदित्य सिंह भदौरिया, आरक्षक शैलेंद्र सिंह बघेल, चेतन सिंह परिहार, आरक्षक कृष्णा अहिरवार, महिला आरक्षक प्रियंका लोधा एवं अनीता प्रजापति शामिल रहे.

फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का भंडाफोड़, 13 बंदी

भिण्ड, 24 अप्रैल. जिले में संगठित रूप से संचालित फर्जी शस्त्र लाइसेंस रैकेट का पुलिस ने खुलासा करते हुए अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है. आरोपी करीब तीन लाख रुपए में फर्जी आर्म्स लाइसेंस तैयार कर लोगों को उपलब्ध कराते थे. लहार क्षेत्र से सुनील शर्मा और उसके बेटे प्रांशु शर्मा को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया कि सुनील के खिलाफ पहले से सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए उसने अपने बेटे के नाम पर फर्जी लाइसेंस बनवाया था. डीआईजी एवं भिण्ड एसपी डॉ. असित यादव के निर्देशन में साइबर टीम ने नेटग्रिड के माध्यम से जांच की. जांच में पाया गया कि गिरोह पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो जैसे दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर ऑनलाइन फर्जी लाइसेंस तैयार करता था. इन लाइसेंसों पर क्यूआर कोड और जिला अधिकारी भिण्ड का नाम अंकित कर उन्हें असली जैसा बनाया जाता था. पुलिस ने इस मामले में रोहित चांडोले, प्रवीण भावरे, सतीश चंद्र, सतीश त्रिपाठी, पुष्पेंद्र राजावत, अवरार खान, रामसेवक कोरकू, मधुबाला मौर्य, अजीत कुशवाह, सुमेर यादव, राधाचरण नायक, राहुल पाटिल, प्रांशु शर्मा और सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया है. इनमें से पांच आरोपियों ने अपने या परिजनों के नाम पर फर्जी लाइसेंस बनाए थे. जांच खुलासा हुआ कि कलेक्ट्रेट की आर्म्स शाखा के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह रैकेट संचालित हो रहा था.

अब प्रतिदिन मिलेगी पुणे के लिए अमृत भारत ट्रेन

खंडवा. जिले की रेल सुविधाओं में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है. खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के निरंतर प्रयासों के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए बनारस-हड़पसर (पुणे) अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है. यह ट्रेन प्रतिदिन संचालित होगी, जिससे पुणे जाने वाले यात्रियों को अब ट्रेनों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा. सांसद की मेहनत रंग लाई.

दो निर्णयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश वापस लिया

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता के दो विवादित निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने का आदेश वापस ले लिया है. दरअसल, हाईकोर्ट के पूर्व प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने रजिस्ट्रार जनरल को दोनों आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने निर्देशित किया था.

सीजे की बेंच ने स्पष्ट किया है कि अब पूरे मामले पर आंतरिक प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक समिति विचार करेगी. 22 सितंबर 2025 को प्रशासनिक न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने ग्वालियर खंडपीठ के न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के दो आदेशों पर आपत्ति जताई थी.

संज्ञान लेकर माना था कि न्यायाधीश गुप्ता द्वारा शिवपुरी के एडीशनल जज विवेक शर्मा के खिलाफ की गईं कुछ टिप्पणियां जमानत अधिकार क्षेत्र या संविधान के तहत न्यायिक शक्ति के दायरे से बाहर प्रतीत होती हैं.

टाटा कैपिटल हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
TATA
रजि. आफिस- 11वां माला, टॉवर-ए, पैनिनसुला बिजनेस पार्क, गनपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल मुंबई-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC18755

मांग सूचना
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के नियम 3 के तहत

चूंकि अधोहस्ताक्षरी टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 13(12) और नियमों के नियम 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई तारीखों पर विस्तृत मांग सूचना जारी कर चुके हैं इसमें कर्जदार(ओं)/सह-कर्जदार(ओं)/गारंटर(ओं) (जिन्हें सामूहिक रूप से 'बाध्यकारी/Obligors' कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) से संबंधित मांग सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था. उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक (A.D.) द्वारा भेजी गई थीं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं. उक्त बाध्यकारी/कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, यदि चाहें, तो किसी भी कार्य दिवस पर सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान अधोहस्ताक्षरी से अपनी प्रति प्राप्त कर सकते हैं. इस सूचना के माध्यम से उक्त बाध्यकारी/कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उनके नामों के सामने दर्शाई गई राशि का भुगतान TCHFL को करें. इसके साथ ही, ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों के अनुसार उल्लिखित तारीखों से भुगतान/वसूली की तारीख तक का भविष्य का ब्याज भी देय होगा. ऋण के पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) क्रमश: उक्त बाध्यकारी (Obligors) द्वारा TCHFL के पास गिरवी रखी गई है.

ऋण खाता संख्या	बाध्यकारी/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम	कुल बकाया राशि (रुपये में)	मांग सूचना की तारीख और NPA तारीख
TCHHL0284000100347579 और TCHIN0284000100347885	श्री अंकित जैन (कर्जदार) और श्रीमती रीना जैन (सह-कर्जदार)	रु. 30,53,780/- और रु. 1,15,097/-	14-04-2026 और 03-04-2026
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्लॉट नंबर 72, 'देवास लाइफ स्टाइल', ग्राम नागझिरी, पटवारी हल्का नंबर 33, तहसील और जिला देवास (मप्र) कुल क्षेत्रफल- 155.03 वर्ग मीटर (1668.74 वर्ग फीट). सीमाएं- पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में- प्लॉट नंबर 73, 74, 75, उत्तर में- प्लॉट नंबर 71, दक्षिण में- कॉलोनी रोड.			
TCHHL0284000100366064 और TCHIN0284000100367689	श्रीमती बबिता सोलंकी (सह-कर्जदार) (दिवंगत राकेश सोलंकी की कानूनी उत्तराधिकारी और पत्नी)	रु. 15,23,162/- और रु. 1,00,466/-	15-04-2026 और 03-04-2026
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- हाउस नंबर 1/1 का पूर्वी हिस्सा, गोविंद नगर खारचा कॉलोनी, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास, वार्ड नंबर 18, सांवेर रोड, इंदौर जिला इंदौर (मप्र) कुल क्षेत्रफल- 600 वर्ग फीट (55.76 वर्ग मीटर) सीमाएं- पूर्व में- रोड, पश्चिम में- उसी घर का शेष हिस्सा, उत्तर में- राम प्रसाद मलखान का घर नंबर 63, दक्षिण में- ऑक्सफोर्ड स्कूल.			

यदि उक्त बाध्यकारी (Obligors) भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो TCHFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा. उक्त अधिनियम के तहत बाध्यकारी व्यक्तियों को TCHFL की लिखित सहमति के बिना इन संपत्तियों को बेचने, किराए पर देने या हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. उल्लंघन करने वाले को अधिनियम के तहत कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है.

दिनांक: 25-04-2026
स्थान: इंदौर
हस्ताक्षर, अधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	82664064	होम लोन	9-4-2026	रु. 4,58,174.35/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. जगदीश भेरू 2. कैलाश बाई जगदीश
संपत्ति का पता: मकान नंबर 101 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका माप 1800 वर्गफिट है, खसरा नंबर 214, पटवारी हल्का नंबर 15, ग्राम पंचायत तोबरीखेड़ा, तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है, और यह प्रॉपर्टी इससे घिरी हुई है- पूरब- कॉमन रोड, पश्चिम- मदनलाल जी, उत्तर- गोकुल जी, दक्षिण- बलराम जी.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	89328466	होम लोन	13.04.2026	रु. 4,70,113.77/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. कवरू लाल 2. सोना कवरू
संपत्ति का पता: प्रॉपर्टी का वह हिस्सा जिस पर मकान नंबर 86, पटवारी हल्का नंबर 84, माप क्षेत्र 880 वर्ग फीट, खसरा नंबर 135, ग्राम लसुड़िया, ग्राम पंचायत लसुड़िया बेचर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456665 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है- पूरब- ईश्वर सिंह की ज़मीन, पश्चिम- लाड सिंह का घर, उत्तर- अपनी ज़मीन, दक्षिण- कॉमन रोड.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	155254681	होम लोन	09.04.2026	रु. 7,16,351.08/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. मोहनसिंह मानसिंह सिंह 2. पीनाबाई 3. प्रवीण मोहन सिंह 4. महेंद्र सिंह धौलपुरिया
संपत्ति का पता: प्रॉपर्टी/मकान नंबर 40 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल एरिया 92 वर्गमीटर (989 वर्गफिट), पीएच नं. 10, खसरा नंबर 287 पर स्थित, ग्राम गावड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन, और यह प्रॉपर्टी इससे घिरी हुई है- पूरब- विक्रम सिंह बेटे मान सिंह का घर, पश्चिम- शंकरलाल पुत्र पदमलाल का घर, उत्तर- कॉमन रोड, दक्षिण- शिवलाल पुत्र पुराजी और राम सिंह पुत्र मोती सिंह का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
4.	108612481	होम लोन	09.04.2026	रु. 7,64,122.46/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. निर्भय सिंह 2. रामप्रसाद बाई निर्भय सिंह
संपत्ति का पता: प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा जिसका नाम मकान नंबर 78 है, कुल एरिया 104.05 वर्ग मीटर या 1120 वर्गफिट खसरा नंबर 35, पटवारी हल्का नंबर 46, वार्ड नंबर 02, लसुड़िया बेचर ग्राम पंचायत, लसुड़िया बेचर तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456665 पर है. पूरब- बद्री का घर, पश्चिम- सड़क, उत्तर- चरण का घर, दक्षिण- सड़क.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांक: 25.4.2026
स्थान: मध्यप्रदेश

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड
Chola Enter a better life
कॉर्पोरेट कार्यालय: चोला क्रेस्ट, सी-54 और सी-55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडे, चेन्नई-600032

कब्जा नोटिस (नियम 8(1) (अचल संपत्ति का)

चूंकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा, मेसर्स चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित [प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13[2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, प्रतिभूति हित [प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत उधारकर्ताओं, जिनके नाम नीचे कॉलम (बी) में दर्शाए गए हैं, को कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तारीखों पर उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब्याज के साथ नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा आज 24 अप्रैल 2024 को ले लिया है. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है. माननीय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार इन्दौर में केस नं. 0333/बी-121/2025-26, दिनांक 24/11/2025.
विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [ई] में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन एमआईएस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के कॉलम [डी] में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा.

स. क्र.	देनदार का नाम और पता लोन खाता नंबर	डिमांड नोटिस की तिथि	कुल बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	लोन खाता नंबर TL01IND0000039048 1. मेसर्स अंश ट्रेडर्स 2. श्री अजय अग्रवाल और 3. श्रीमती संध्या अग्रवाल	15-4-2025	रु. 1,53,92,215/- दिनांक 15-4-2025 को ब्याज सहित	प्रकोष्ठ संख्या 201, द्वितीय तल, विमल प्लाजा, 9, (पुराना संख्या 8/2) इमली बाजार, सर सिरेमल भापना मार्ग, इंदौर (म.प्र.452007) में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल निर्मित क्षेत्र 910 वर्ग फुट (84.54 वर्ग मीटर), और जो निम्नानुसार परिबद्ध है- पूर्व- सड़क, पश्चिम- सीढ़ियों के बाद लिफ्ट, उत्तर- प्रकोष्ठ संख्या 202 और 203, दक्षिण- दौलतरामजी का घर।	24-4-2026

दिनांक: 24-4-2026
स्थान: इन्दौर
प्राधिकृत अधिकारी
मेसर्स चोलामंडलम इनवेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL-HFL) के कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय- मकान नं. 176, स्कीम नं. 97, स्लाइस-4 नर्मदा स्क्वायर के पास, गोपुर स्क्वायर के बाद, इन्दौर-452001 में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के अंतर्गत बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ('AO') ने निम्नलिखित ऋण खातों/संभावना संख्याओं में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल-एचएफएल के बकाये की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है तथा बिना किसी सहारे के आधार पर' इसे बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट: www.iiflonehome.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी.

देनदार/सहदेनदार/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
श्रीमती रजना द्विवेदी मां कालिका रोड लाइंस श्री विनोद कुमार (प्रॉस्पेक्ट न. 781607)	11-6-2021 रु. 1422657/- (रु. चौदह लाख बाइस हजार छह सौ सत्तावन मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह भाग, जो निम्न पते पर स्थित है- प्लॉट संख्या 38, अदिति विहार कॉलोनी चरण 2, ग्राम भाटखेड़ी, महू, इंदौर, इंदौर, 453441, मध्य प्रदेश, भारत क्षेत्रफल (वर्ग फुट)- संपत्ति प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 613.00, 600.00	21-4-2026 कुल बकाया राशि 8-4-2026 को रु. 1000074/- (रु. दस लाख चौहत्तर मात्र)	रु. 1477000/- (रु. चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र) बयाना जमा राशि (ईएमडी) रु. 147700/- (रु. एक लाख सैंतालिस हजार सात सौ मात्र)

प्रॉपर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
29/5/2026 11.00-14.00 बजे	1/6/2026 के 5.00 बजे तक	3/6/2026 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना है. भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा. नोट- प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है. सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं. शेष भुगतान के लिए - https-//www.iiflonehome.com में बोली शेष राशि का भुगतान करें पर लॉग इन करें.

नियम एवं शर्तें:-

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www. iiflonehome.com के पास अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा तथा लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति तथा पैन कार्ड के साथ अपना 'निविदा प्रपत्र' जमा/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के अंतर्गत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा. यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समापन समय स्वत: ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि का शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना होगा. सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से किए जाएंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित प्रभारों का भुगतान करना होगा.
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन का भुगतान करना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के साथ टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र की विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें.
7. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी: care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर: @1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं.
8. संपत्ति के विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच 09:30 बजे से 18:00 बजे तक IIFL HFL टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल करें: care@iiflonehome.com
9. उपरोक्त उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि वे 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जे में लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को इकट्ठा करें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
10. इसके अलावा उधारकर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त सामान इकट्ठा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी स्तर पर निर्धारित समय के भीतर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी तथा संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा.
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

उधारकर्ता को निविदा/नीलामी की तिथि से पहले ऊपर उल्लिखित राशि के साथ-साथ अद्यतित ब्याज और सहायक व्यय का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और यदि कोई बकाया है तो उसे ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा.
स्थान- इन्दौर, दिनांक- 25-4-2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड